जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना मण्डावर **दिनॉक 25.05.2025**

थाना मण्डावर पुलिस ने हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण (मृतक की पत्नी व पुत्र) को घटना में प्रयुक्त तकिया व कम्बल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.05.2025 को श्री हिफजान अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद नि0 मौ0 काजियान कस्बा व थाना मण्डावर बिजनौर द्वारा थाना मण्डावर पर सूचना दी गयी कि उसके चाचा शहजाद अहमद पुत्र रईस अहमद नि0 मौ0 शाहविलायत थाना मण्डावर जनपद बिजनौर की संदिग्ध परिस्थिति मे मृत्यु हो गयी है, सूचना पर थाना मण्डावर पुलिस मौके पर पहुॅची तथा मृत्यु का वास्तविक कारण जानने हेतु मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल मोर्चरी भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे मृतक शहजाद की मृत्यु का कारण ASPHYXIA AS A RESULT OF MECHANICAL OCCLUSION OF RESPIRATORY TRACT SMOTHERING अंकित करते हुए मृतक के शरीर पर चोटों का आना अंकित किया गया। वादी श्री हिफजान अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद नि0 मौ0 काजियान कस्बा व थाना मण्डावर बिजनौर ने अपने चाचा शहजाद की हत्या अभियुक्तगण 1. शगुफ्ता परवीन पत्नी शहजाद अहमद 2.हम्माद पुत्र शहजाद अहमद 3.अम्मार पुत्र शहजाद अहमद नि0गण मौ0 शाहविलायत थाना मण्डावर बिजनौर 4.मौ0 सलीम पुत्र मौ0 अनीस नि0 मौ0 काजियान कस्बा अकबराबाद थाना कोतवाली देहात बिजनौर द्वारा किये जाने का आरोप लगाते हुए थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 96/25 धारा 103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 25.05.2025 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 96/25 धारा 103(1) बी0एन0एस0 मे वांछित अभियुक्तगण 1.अम्मार पुत्र शहजाद अहमद 2.शगुफ्ता परवीन पत्नी शहजाद अहमद नि0गण मौ0 शाहविलायत थाना मण्डावर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक तकिया व एक कम्बल बरामद किये गये। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट– अभियोग में नामित अन्य 02 अभियुक्तगण के सम्बन्ध मे जांच की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त अम्मार पुत्र शहजाद अहमद से की गयी पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आये कि उसके पिता शहजाद अहमद से उसका व उसकी माता का सम्पत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिस कारण उनकी आपस में कहा सुनी होती रहती थी। उसके पिता अपनी सारी चल व अचल सम्पत्ति अपने दोनों पुत्रों को न देकर किन्ही दूसरो को देना चाहते थे। जिसके सम्बन्ध में उसके पिता ने समाचार पत्र मे भी उपने दोनो पुत्रो को अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर देने का इस्तिहार निकलवाया था। जिससे वह इस बात को लेकर काफी पेरशाान रहते थे और इसी से क्षुब्ध होकर अभियुक्त अम्मार व उसकी माता शगुफ्ता ने शहजाद अहमद को जान से मारने की योजना बनाई।

दिनांक 17-05-2025 को रात्रि में करीब 12 बजे अभियुक्त अम्मार अपने घर पर आया और अपनी माता के साथ अपने पिता से सम्पत्ति के बारे में बातचीत की तथा उसके पिता के नही मानने पर वह वापस दिल्ली चला गया।

दिनांक 19-05-2025 की रात्रि में अभियुक्त अम्मार योजनाबद्ध तरीके से फिर से अपने घर आया और अपनी माता शगुफ्ता के साथ अपने पिता से सम्पत्ति न बेचने व सम्पत्ति को उनके नाम करने की बात कही लेकिन शहजाद के बार बार मना करने पर अभियुक्त अम्मार ने अपने पिता शहजाद का पीछे से मुंह व नाक हाथ से दबा दी और दोनो ने शहजाद को चारपाई पर गिरा कर तकिया से उसका मुह व नाक दबाकर हत्या कर दी और उसी चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर लिटा दिया, जिससे किसी को शक न हो और अम्मार वापस दिल्ली चला गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.अम्मार पुत्र शहजाद अहमद नि0 मौ0 शाहविलायत थाना मण्डावर बिजनौर
2.शगुफ्ता परवीन पत्नी शहजाद अहमद नि0 मौ0 शाहविलायत थाना मण्डावर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सरोज थाना मण्डावर बिजनौर।
2.उ0नि0 श्री मैन कुमार थाना मण्डावर बिजनौर।
3.हे0का0 572 हरेन्द्र कुमार थाना मण्डावर बिजनौर।
4.का0 2375 उपेन्द्र मलिक थाना मण्डावर बिजनौर।
5.म0का0 2417 निशी सैनी थाना मण्डावर बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढ़ापुर **दिनांक – 25.05.2025**

थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 82/2025 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को अवैध शस्त्र, नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया एवं साथी बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.05.2025 को वादी ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि वादी की मेन बाजार बढ़ापुर में नरेश बुक डिपो के नाम से एक दुकान है। जिस पर दिनांक 22.05.2025 की दोपहर को समय वादी का पुत्र दुकान पर बैठा था। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति दुकान पर आये और सामान लेने के बहाने वादी के पुत्र से बेइमानी एवं ठगी करते हुये प्रार्थी के पुत्र को डराते हुये लगभग 2500 से 3000 रूपये ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 82/2025 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 25.05.2025 को विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त बन्टी पुत्र विक्रम निवासी ग्राम गुंगा नंगला थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया व बाल अपचारी को पुलिस निगरानी मे लिया गया। अभियुक्त बन्टी के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2020 /- रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल अपाचे (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

बन्टी पुत्र विक्रम निवासी ग्राम गुंगा नंगला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बाल अपचारी (पुलिस निगरानी में)

बरामदगी का विवरण –

एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2020 /- रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल अपाचे (बिना नम्बर प्लेट)

अभियुक्त को गिरफ्तार व किशोर अपचारी को पुलिस निगरानी मे लेने वाली टीम –

1.उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना बढापुर बिजनौर

2.हे0कां0 507 प्रविन्द्र कुमार थाना बढापुर बिजनौर

3.कां0 86 रोहित चौधरी थाना बढापुर बिजनौर

4.कां0 2282 दानिश अली थाना बढापुर बिजनौर